Most Immediate

No.C-18013/11/2002-Ad.III(Vol.II)
Government of India
Ministry of Statistics and PI
.....

Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi, Dated, the 07.01.2013

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- **Implementation of Judgment dated 11.05.2010 of the Hon'ble Supreme Court of India in SLP(c) 6784/2004 converted to Civil Appeal No. 8273/2004 – Union of India & Others Vs B. Anil Kumar & others reg. extending benefit of Rs. 75/- as Special Pay to all similarly placed non-applicant Assistant Superintendents of NSSO(FOD)**

The undersigned is directed to forward herewith copies of MOS&PI's O.M. No.C-18013/11/2002-Ad.III(Vol.II) dated 09.11.2012 alongwith its enclosures(including Hindi version) on the above subject with the request for uploading on the website of this Ministry for information of all concerned.

Encl: as above

(S.K. Roy)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23364008

To

1. NIC Cell, MOS&PI
(SH. S K Jain, Sr. T. Director (NIC)

Most Immediate

No.C-18013/11/2002-Ad.III(Vol.II)
Government of India
Ministry of Statistics and PI
.....

Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi, Dated, the 09.11.2012

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Implementation of Judgment dated 11.05.2010 of the Hon'ble Supreme Court of India in SLP(c) 6784/2004 converted to Civil Appeal No. 8273/2004 – Union of India & Others Vs B. Anil Kumar & others reg. extending benefit of Rs. 75/- as Special Pay to all similarly placed non-applicant Assistant Superintendents of NSSO(FOD)

The undersigned is directed to refer to this Ministry's letter of even No. dated 26.09.2012 (copy enclosed) on the above subject wherein the decision of the Government regarding extending the benefit of Rs.75/- as Special Pay to all similarly placed non-applicant Assistant Superintendents of NSSO(FOS) in pursuance of Hon'ble Supreme Court of India's Judgment dated 11.05.2010 in the above mentioned case was conveyed to NSSO(FOD).

2. This Ministry has received representations wherein it has been mentioned that some of the Assistant Superintendents previously working in NSSO, FOD have now been transferred to other Departments within the Jurisdiction of Subordinate Statistical Service(SSS) under MOS&PI immediately after formation of SSS Cadre since 2005 and the aforesaid letter dated 26.09.2012 of this Ministry is addressed to NSSO(FOD) only and shall not help to inform the officials and their offices in the different Ministries of GOI.

3. This has been considered in the Ministry and it is to inform that aforesaid decision of the Governemnt is also applicable to all similarly circumstanced non-applicant Assistant Superintendents of NSSO(FOD) who are now working in different Ministries/Departments of GOI .

Encl: as above

(S.K. Roy)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23364008

To

1. SSS Section, MOS&PI
2. All Ministries / Departments

अति तत्काल

सं. सी-18013/11/2002-प्रशा.III (खंड II)

भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांकः 09.11.2012

कार्यालय ज्ञापन

विषयः एनएसएसओ (एफओडी) के समान रूप से तैनात समस्त गैर-आवेदक सहायक अधीक्षकों को भी विशेष वेतन के रूप में 75 रु. का लाभ देने के बारे में सिविल अपील सं. 8273/2004 - भारतीय संघ एवं अन्य बनाम बी. अनिल कुमार एवं अन्य के रूप में परिवर्तित एसएलपी(सी) 6784/2004 में माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.05.2010 के निर्णय का कार्यान्वयन ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 26.09.2011 के समसंख्यक पत्र (प्रति संलग्न) का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है, जिसमें उपरोक्त मामले में माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.05.2010 के निर्णय के अनुसरण में एनएसएसओ (एफओडी) के समान रूप से तैनात समस्त गैर-आवेदक सहायक अधीक्षकों को भी विशेष वेतन के रूप में 75 रु. का लाभ देने के बारे में सरकार के फैसले से एनएसएसओ (एफओडी) को अवगत कराया गया था ।

2. इस मंत्रालय को प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि कुछ सहायक अधीक्षक जो पहले एनएसएसओ (एफओडी) में कार्यरत थे, जिन्हें 2005 में एसएसएस संवर्ग के गठन के तत्काल बाद अब एमओएसपी&आई के तहत अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत अन्य विभागों में स्थानांतरित कर दिया गया है और दिनांक 26.09.2012 का उपरोक्त पत्र केवल एनएसएसओ (एफओडी) को संबोधित है तथा इससे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों तथा कार्यालयों को सूचित करने में सहायता नहीं मिलेगी ।

3. इस मुद्दे पर मंत्रालय में विचार किया गया और यह सूचित किया जाता है कि सरकार का उपरोक्त फैसला अब भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों तथा कार्यालयों में कार्यरत एनएसएसओ (एफओडी) के इसी तरह के परिस्थितिजन्य समस्त गैर-आवेदक सहायक अधीक्षकों पर भी लागू है ।

(एस.के. रॉय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23364008

सेवा में,

1. एसएसएस अनुभाग, एमओएसपी&आई
2. सभी मंत्रालय/विभाग

Most Immediate
FAX

No.C-18013/11/2002-Ad.III(Vol.II)
Government of India
Ministry of Statistics and PI
Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi, Dated, the 26.09.2012

To

The Additional Director General,
National Sample Survey Organization,
(Field Operations Division),
East Block 6, Level 4 & 7,
R.K. Puram, New Delhi.

Sub:- Implementation of Judgment dated 11.05.2010 of the Hon'ble Supreme Court of India in SLP(c) 6784/2004 converted to Civil Appeal No. 8273/2004 – Union of India & Others Vs B. Anil Kumar & others reg. extending benefit of Rs. 75/- as Special Pay to all similarly placed non-applicant Assistant Superintendents of NSSO(FOD)

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter of even No. dated 29.06.2011 on the subject noted above regarding implementation of the above indicated **Judgment dated 11.05.2010 in respect of applicants/ interveners.** The representations of similarly placed non-applicant Assistant Superintendents of NSSO(FOD) regarding extention of benefit of the Judgment dated 11.05.2010 of the Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No.8273/2004 i.e. extending benefit of Rs. 75/- as Special Pay to similarly placed non-applicants, who were performing the same nature of duties & responsibilities as that of officials included in the original list of applicants, have been examined in this Ministry in consultation with Ministry of Finance, Department of Expenditure & Ministry of Law. It has now been decided to implement the Judgment dated 11.05.2010 of Hon'ble Supreme Court in respect of all similarly circumstanced non-applicant officials also.

2. FOD is requested to take necessary action in the matter under intimation to this Ministry.

Yours faithfully,

(S.K. Roy)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23364098

<u>अति तत्काल</u>

<u>फैक्स</u>

सं. सी-18013/11/2002-प्रशा.III (खंड II)

भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांकः 26.09.2012

सेवा में,

अपर महानिदेशक
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
(क्षेत्र संकार्य प्रभाग)
ईस्ट ब्लॉक 6, लेवल 4 एवं 7
आर.के.. पुरम, नई दिल्ली.

विषयः **सिविल अपील सं. 8273/2004 में परिवर्तित एसएलपी(सी) 6784/2004 में माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.05.2010 के निर्णय का कार्यान्वयन जो भारतीय संघ एवं अन्य बनाम बी. अनिल कुमार एवं अन्य से संबंधित था जो एनएसएसओ (एफओडी) के समस्त समान रूप से तैनात गैर-आवेदक सहायक अधीक्षकों को भी विशेष वेतन के रूप में 75 रु. का लाभ देने के बारे में था ।**

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 29.06.2011 के समसंख्यक पत्र का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है, जो **आवेदकों/मध्यस्थों के संबंध में दिनांक 11.05.2010 के उपर्युक्त निर्णय** के कार्यान्वयन के बारे में है । भारत के माननीय उच्चतम न्यायलय ने सिविल अपील सं, 8273/2004 में दिनांक 11.05.2010 को यह निर्णय दिया था कि उन गैर-आवेदकों को भी विशेष वेतन के रूप में 75/रु. दिये जाएं जो आवेदकों की मूल सूची में शामिल अधिकारियों के समान ही कर्तव्यों और दायित्वों का निष्पादन कर रहे हैं । एनएसएसओ (एफओडी) के इसी प्रकार के पदस्थ गैर-आवेदक सहायक अधीक्षकों को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का लाभ प्रदान करने के बारे में उनके प्रतिवेदन पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग और विधि मंत्रालय के साथ परामर्श से इस मंत्रालय में विचार किया गया । अब यह निर्णय लिया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.05.2010 के फैसले को इसी प्रकार के सभी तथ्यगत गैर-आवेदक अधिकारियों पर भी लागू किया जाए ।

2. एफओडी से अनुरोध है कि वह इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करे, और इसकी सूचना इस मंत्रालय को भी दे ।

भवदीय,

(एस.के. रॉय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23364008